राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1236/2017

पराक्रम सिंह नरूका

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.09.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अश्विनी जैमन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अनुकम्पात्मक आधार पर अध्यापक ग्रेड—तृतीय के पद पर दिनांक 01.07.1986 को हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 05.10.1987 को निरस्त की गयी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने सेवा से पृथक किये जाने के आदेश को स्टेंडिंग कमेटी के समक्ष चुनौती दी, जिस पर निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने आदेश दिये कि अपीलार्थी को सेवा समाप्त करने की दिनांक 05.10.1987 से पुनः सेवा में लिया जाए और अपीलार्थी को पुनः सेवा में उपस्थित होने की दिनांक तक की अवधि को अवैतनीक अवकाश स्वीकृत करने/सेवाएं नियमित किये जाने हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करने के लिये प्रकरण पुनः राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उक्त आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 12.07.1995 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी अपनी सेवानिवृति दिनांक तक सेवा में कार्यरत रहा, परन्तु अपीलार्थी की सेवा की गणना उसके द्वारा पुनः कार्य ग्रहण किये जाने की दिनांक से की जा रही है, जबकि अपीलार्थी की सेवा की गणना उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 01.07.1986 से की जानी चाहिए थी।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने राजकीय प्राथमिक विधालय, हरिपुरा, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक में अध्यापक के पद पर दिनांक 19.07.1995 को कार्यभार ग्रहण किया। तद्नुसार दो वर्ष की परीविक्षा अवधि पुर्ण होने पर दिनांक 19.07.1997 से अपीलार्थी को स्थायी किया गया। प्रार्थी विपक्षीगण/प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशो–निर्देशो–परिपत्रो–प्रावधानों तथा उसमें वर्णित शर्तों इत्यादि को अंगीकार करते तथा विधि अनुसार देय सेवा संबंधित सभी प्रकार के देय लाभ परिलाभो को स्वीकार करते हुए कार्यरत एवं पदस्थापित रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थायीकरण आदेश दिनांक 31.07.1997 को अपीलार्थी ने स्वीकार एवं अंगीकार कर सेवामे कार्यरत रहा। अपीलार्थी अब लगभग 20–21 वर्ष पश्चात् अनावश्यक लाभ प्राप्ति के प्रयास में प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1986 से सेवा परिलाभ देय किये जाने का अनुतोष चाह रहा है, जबकि अपीलार्थी को यदि कोई व्यथा थी तो विधिवत अपनी आपत्ति 31.07.1997 के आदेश जारी होने के वक्त अथवा उसके पश्चात् विपक्षीगण/प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जो अपीलार्थी द्वारा कभी भी प्रस्तुत नही की गई। इसलिए उक्त अपील निरर्थक होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1986 को हुई थी, उसके पश्चात अपीलार्थी को सेवा से पृथक किया गया। उसके पश्चात अपीलार्थी के सम्बन्ध में निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने आदेश दिनांक 10.07.1995 पारित किया है, जिसमें निम्न प्रकार से निर्देश दिये हैं :–

> ''अतः विकास अधिकारी पंचायत समिति, देवली, टोंक को आदेश दिया जाता है कि श्री नरूका अध्यापक को उनकी सेवा समाप्त करने की दिनांक 05.10.1987 से पुनः सेवा में लिया जावे एवं श्री नरूका को पुनः सेवा में उपस्थिति होने की दिनांक तक की अवधि को अवैतनीक अवकाश स्वीकृत करने/सेवायें नियमित किये जाने हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करने के लिये प्रकरण पुनः राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।''

5. इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवा समाप्ति की दिनांक 05.10.1987 से पुनः सेवा में लिये जाने के आदेश प्रदान किये हैं। ऐसे में अपीलार्थी की सेवा में ब्रेक होना नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से लगातार सेवा में कार्यरत रहना माना जाएगा। अतः अपीलार्थी अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही सेवा की गणना कराने का अधिकारी है।
6. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। वित्त विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक 01.07.1986 से करते हुए अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ, पे–फिक्सेशन एवं अन्य समस्त परिलाभ प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)